उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।

संख्या 3073 /सं0नि0उ0/एक–210/2025–2026 दिनांक 13–11–2025

सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) हेतु आवेदन पत्र

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड एवं इसकी अधीनस्थ इकाईयों में श्रेणी 'क' (राजपत्रित) के रिक्त पदों को सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के माध्यम से भरे जाने हेतु दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे, किन्तु पदों के दायित्व के अनुरूप अपेक्षित आवेदन पत्र प्राप्त न होने के दृष्टिगत पुनः निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक, संस्कृति	78800–209200 लेवल–12	01
2.	निदेशक, राजकीय संग्रहालय	67700–208700 लेवल–11	01

सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के माध्यम से भरे जाने वाले उपरोक्त पदो के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति हेतु पात्रता, कर्तव्य एवं नियुक्ति हेतु शर्तें संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड की बेवसाईट www.uttarakhandculture.in पर उपलब्ध हैं।

इच्छुक अधिकारी दिनांक 14–12–2025 तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन विभागीय ई–मेल dir-culture@uk.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ई–मेल पर भेजे गये आवेदन की एक हार्ड प्रति पंजीकृत डाक से निर्धारित तिथि तक महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून के पते पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

महानिदेशक,
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड।
एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।
Email-dir-culture@gmail.com

पत्रांक संख्या 3073 दिनांक 13-11-2025

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं इसकी अधीनस्थ इकाइयों में रिक्त श्रेणी 'क' के पदों पर सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर नियुक्ति के लिये इच्छुक राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत श्रेणी 'क' के अधिकारियों के आवेदन पत्र उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित दिनांक .... तक स्वयं, डाक व मेल द्वारा उपरोक्त पते पर आमंत्रित किये जाते हैं :–

क0 सं0	पदनाम	रिक्त पदों का विवरण	स्तर/वेतनमान	पात्रता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय	01	वेतनमान रू0 78800–209200 लेवल–12	**1– सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्रता–** (क) कार्मिक जो स्तम्भ–4 के स्तर से ठीक एक स्तर नीचे के स्तर–11 वाले पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति हो एवं इस स्तर में कम से कम **5 वर्ष** कार्य करने का अनुभव रखता हो। **अथवा** (ख) कार्मिक जो मौलिक रूप से स्तर–10 का पदधारक हो, तथा इस रूप में कम से कम कुल 10 **वर्ष** की अनवरत सेवा पूर्ण कर चुके हो। अन्य बातों के समान होने पर निम्नवत् को वरीयता दी जायेगी। **अन्य बातों के समान होने पर ऐसे कार्मिकों को अधिमान दिया जायेगा, जो निम्नवत् अर्हता रखता हो–** **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास/कला/संस्कृति के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि। **(दो)** जनपद स्तरीय कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का कम से कम **5 वर्ष** का अनुभव।	(1) कार्मिक जो संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के निर्धारित स्तर–12 एवं स्तर–11 से उच्च स्तर का वेतनमान पा रहे हों, को नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। (2) कार्मिक की कम से कम 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि "अति उत्तम" या इससे उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। (3) कार्मिक का अपने मूल विभाग में अथवा सार्वजनिक जीवन में कोई वाद न्यायालयों में योजित नहीं होना चाहिए।

2.	निदेशक, राजकीय संग्रहालय	01	रू0 67700–208700 लेवल–11	**1– सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्रता–** (क) कार्मिक जो स्तम्भ–4 के स्तर से ठीक एक स्तर नीचे के स्तर–10 वाले पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति हो एवं इस स्तर में कम से कम **5 वर्ष** कार्य करने का अनुभव रखता हो। (ख) कार्मिक जो स्तर–11 का पदधारक हो, तथा स्तर–10 एवं स्तर–11 में की गयी सेवा को सम्मिलित करते हुए कम से कम कुल **7 वर्ष** की अनवरत सेवा पूर्ण की हो। **2– सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्रता–** कार्मिक जो स्तर–11 का पद धारक हो और स्तर–10 एवं स्तर–11 में की गयी सेवा को सम्मिलित करते हुए कम से कम कुल 7 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। **अन्य बातों के समान होने पर ऐसे कार्मिकों को अधिमान दिया जायेगा, जो निम्नवत् अर्हता रखता हो–** **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व/कला/संस्कृति में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।	(1) कार्मिक जो निदेशक के निर्धारित स्तर–11 से उच्च स्तर का वेतनमान पा रहे हों, को नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। (2) कार्मिक की कम से कम 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि "अति उत्तम" या इससे उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। (3) कार्मिक का अपने मूल विभाग में अथवा सार्वजनिक जीवन में कोई वाद न्यायालयों में योजित नहीं होना चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य शर्ते संस्कृति विभाग की वेबसाईट www.uttarakhandculture.in पर हैं। प्रारूप का प्रिन्ट लेकर इसमें सभी विवरणों को सुस्पष्ट रूप से भर कर आवेदन किया जाये।

महानिदेशक
संस्कृति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड।
एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।
Email-dir-culture@gmail.com

पत्रांक संख्या 3073 दिनांक 13-11-2025

आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदित पद का नामः–		पासपोर्ट साईज फोटो जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित
2.	कार्यालय का नामः– (जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है)		
	1–संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।		
	2–राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।		
	3–पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा।		
3.	आवेदक नामः–		
4.	जन्म तिथिः– /		
5.	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः–		
6.	पैतृक विभाग का नाम एवं पत्राचार हेतु पताः–		
7.	कार्यालय का नाम एवं पत्राचार हेतु पता जहाँ वर्तमान में कार्यरत हैंः–		
8.	वर्तमान में धारित पद का नाम		
9.	वर्तमान वेतनमान एवं धारित पद पर नियुक्ति की तिथिः–		
10.	पैतृक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्रः–		
11.	फोन एवं मेल पताः– (स्वंय का और कार्यालय का)		
12.	संलग्नकों की संख्याः–		

आवेदक के हस्ताक्षर –

आवेदक का नाम –
आवेदक मोबाईल नम्बर–

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड।
एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।
Email-dir-culture@gmail.com

पत्रांक संख्या..3073........... दिनांक..13-11-2025.........

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु शर्तेः–

यदि किसी अभ्यर्थी को इस विभाग द्वारा सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) पर लिये जाने सम्बन्धी पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक माह की अवधि तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

- आवेदित पद से ठीक एक स्तर नीचे का वेतनमान प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी को सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) पर लिये जाने पर पैतृक विभाग में अनुमन्य स्तर से ठीक एक स्तर ऊपर का वेतनमान देय होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्तर/वेतनमान आवेदित पद से उच्च है, को भी नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। परन्तु अन्य भत्ते वही प्रदान किये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो।

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों एवं केन्द्रीय सरकार एवं इनके अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को केवल सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर नियुक्ति किया जायेगा।

- सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) की अवधि में पेंशनरी अंशदान की कटौती एवं जमा करने की कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन की जायेगी।

- सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थी संस्कृति विभाग ऐसी नियुक्ति की अवधि में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत न तो पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगें और न हीं ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित होंगें। उनके पैतृक विभाग में यदि उनके कार्यरत रहने की अवधि के किसी काल/समय का वेतनमान उच्चीकृत कर स्वीकृत किया जाता है तो संस्कृति विभाग में इसका लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान किया जायेगा।

- सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) की अवधि में समय–समय पर देय संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना योजना (एम0ए0सी0पी0एस0) Modified Assured Carrier Progression का लाभ उनके पैतृक विभाग के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा। संस्कृति विभाग में इसका लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के बाद की तिथि जो लागू हो, से प्रदान किया जायेगा।

- विभाग में प्रथम बार प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष के लिये नियुक्ति किया जायेगा। संस्कृति विभाग भविष्य में समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

- आवेदन पत्र संस्कृति विभाग के वेबसाईट www.uttarakhandculture.in में उपलब्ध है। वेबसाईट से इसका प्रिन्ट लेकर आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पठनीय रूप में भर कर विभाग में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विलम्बतम् रूप से दिनांक ...14-12-2025.......तक प्राप्त कराया जाना अनिवार्य है।

- सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- अधिकारियों के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार वेतन आदि देय होंगे।
- आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी की पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों को भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। कार्यभार ग्रहण करते समय यह भी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा कि कार्यमुक्त कर्मचारी के विरूद्व कोई अनुशासनिक एवं विभागीय जॉच लम्बित नहीं है और ना ही पूर्व में उन्हें कभी दण्डित किया गया है।

अतः कृपया संस्कृति निदेशालय एवं इसकी अधीनस्थ इकाईयों में में श्रेणी 'क' (राजपत्रित) पदों को सेवा स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर भरे जाने हेतु प्रस्ताव उपरोक्तानुसार शासन को संदर्भित किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया सहमति की दशा में पत्रावली महानिदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ अग्रसारित करना चाहें।

महानिदेशक,
संस्कृति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।